द्वारा सूचित किया जाकर ... केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय ... को पेश हो पर आयंदा दिनांक 30/6/17

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 03/2015 लच्छीया उर्फ लच्छाराम वगैरा बनाम:
स्व.टेकाराम के का.मु.–वक्ताराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

दिनांक 30.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–तखतगढ में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति एवं साक्ष्य–दस्तावेजात पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि सरहद मौजा तखतगढ पटवार सर्कल तखतगढ तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 393, 394 कुल रकबा 4.78 हेक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 05/2015 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा तखतगढ पटवार सर्कल तखतगढ तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 393, 394 कुल रकबा 4.78 हेक्टर के बारे में वर्तमान

लगातार–

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

हुक्म तामील
नंबर व
तारीख

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017	हुक्म तामील नंबर व तारीख
	राजस्व विविध सं. 03/2015 लच्छीया उर्फ लच्छाराम वगैरा बनामः स्व.टेकाराम के का.मु.–वक्ताराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 ——— राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 05/2015 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे। यह आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प–तखतगढ में बरोज आज दिनांक 30.06.2017 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो व संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 05/2015 के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)	

Scanned by CamScanner